न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2017 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, भीलवाडा/कोटडी

–प्रार्थी

बनाम

1. मनीष कुमार आत्मज लक्ष्मीनारायण काष्ट निवासी आमा एवं उचित मूल्य दुकानदार आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.07.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 24.04.2017 को 4.30 पी.एम. पर जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के निर्देश पर उचित मूल्य दुकानदार आमा तहसील कोटडी की दुकान पर पहुंचा तो डीलर मौजूद मिला। मौके पर तहसीलदार कोटडी, पटवारी आमा, सचिव ग्राम पंचायत आमा एवं शिकायतकर्ता उपसरपंच ग्राम पंचायत आमा मिले। दुकार के बाहर सड़क पर नीले रंग के केरोसीन से भरे हुए 60–60 लीटर के 5 नीले रंग के जरीकेन पडे हुये थे। शिकायकर्ता से पूछताछ के बाद राशन डीलर मनीष कुमार काष्ट से प्राधिकार पत्र, स्टॉक रजिस्टर मांगे गये किन्तु दुकानदार ने उपलब्ध नही कराये। उचित मूल्य दुकान के गोदाम का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन किया गया तो स्टॉक में 875 लीटर केरोसीन, 12 कटटे चीनी वजन 6 क्विंटल एवं गेहूं के 7 कटटे वजन लगभग 350 किलोग्राम एन.एफ.एस.ए. पाये गये। डीलर ने बताया कि उसकी उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री गोदाम के बिल्कुल सटे हुये गोदाम नम्बर 2 जिसके बाहर मैसर्स काष्ट ट्रेडर्स आमा कपास्या एवं पशु आहार के विकेता लिखा हुआ था में भी भण्डारित हैं। गोदाम नम्बर 2 का भौतिक सत्यापन करने पर 2190 लीटर केरोसीन तेल एवं गेहूं के हाथ की सिलाई के 49 कटटे गेहूं से भरे हुये पाये गये। 1 कटटे का वजन 60 किलोग्राम आया। इस प्रकार गोदाम नम्बर 2 में 1190 लीटर केरोसीन एवं 29.40 क्विंटल गेहूं पाये गये। इस प्रकार गोदाम नम्बर 01 व 02 में 2065 लीटर केरोसीन तेल, 06 क्विंटल चीनी, 37.66 क्विंटल गेहूं पाये गये। 5 जरीकेनों में 300 लीटर केरोसीन को स्टॉक में जोड़ा जाये तो करोसीन तेल की मात्रा 2065+300 = 2365 लीटर होती हैं। स्टॉक उपलब्ध नहीं होने से पॉस मशीन से पर्ची निकाली गयी तो उसके अनुसार स्टॉक की स्थिति निम्न प्रकार से पायी गयी –

1. चीनी – 6.37 क्विंटल
2. केरोसीन तेल – 2047 लीटर
3. गेहूं – 37.66 क्विंटल

इस प्रकार पॉस मशीन की पर्ची के मुकाबले स्टॉक की स्थिति निम्न प्रकार से पायी गयी –

1. 4.76 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं कम पाया गया।
2. 37 किलोग्राम चीनी कम पायी गयी।
3. 318 लीटर केरोसीन तेल अधिक पाया गया।

इस प्रकार पॉस मशीन के मुकाबले स्टॉक की भिन्न स्थिति एवं कालाबाजारी की नियत से केरोसीन तेल को जब्त किया जाना नीले रंग की कालाबाजारी के कृत्य की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा राजस्थान आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याओं का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किये जाने से वजह सबूत राशन डीलर मनीष कुमार काष्ट के कब्जे से 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी जब्त सरकार किया जाकर आमा की पड़ौस की पंचायत जीवा का खेडा के राशन डीलर श्री शिव सिंह को सुपुर्दगी में दिये गये। अतः निवेदन हैं कि राशन डीलर द्वारा राजस्थान आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याओं का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किये जाने से प्रकरण में 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.05. 2017 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि गोदाम नम्बर 01 व 02 में 2065 लीटर केरोसीन तेल, 06 क्विंटल चीनी, 37.66 क्विंटल गेहूं पाये गये। 5 जरीकेनों में 300 लीटर केरोसीन को स्टॉक में जोड़ा जाये तो करोसीन तेल की मात्रा 2065+300 = 2365 लीटर होती हैं। स्टॉक उपलब्ध नहीं होने से पॉस मशीन से पर्ची निकाली गयी तो उसके अनुसार स्टॉक की स्थिति निम्न प्रकार से पायी गयी –

4. चीनी – 6.37 क्विंटल
5. केरोसीन तेल – 2047 लीटर
6. गेहूं – 37.66 क्विंटल

इस प्रकार पॉस मशीन की पर्ची के मुकाबले स्टॉक की स्थिति निम्न प्रकार से पायी गयी –

4. 4.76 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं कम पाया गया।

5. 37 किलोग्राम चीनी कम पायी गयी।
6. 318 लीटर केरोसीन तेल अधिक पाया गया।

इस प्रकार पॉस मशीन के मुकाबले स्टॉक की भिन्न स्थिति एवं कालाबाजारी की नियत से केरोसीन तेल को जब्त किया जाना नीले रंग की कालाबाजारी के कृत्य की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा राजस्थान आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याओं का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किये जाने से वजह सबूत राशन डीलर मनीष कुमार काष्ट के कब्जे से 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी जब्त सरकार किया गया। निवेदन हैं कि राशन डीलर द्वारा राजस्थान आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्याओं का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किये जाने से प्रकरण में 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी का कालाबाजारी किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 2365 लीटर केरोसीन तेल 32.90 क्विंटल एन.एफ.एस.ए. गेहूं एवं 06 क्विंटल चीनी का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा